

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प.1(36)वन/2015

जयपुर, दिनांक :- 14.11.2017

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र)
पंचम तल केन्द्रीय भवन, सैक्टर-एच
अलीगंज, लखनऊ-226024

विषय:- जनपद बारा में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत माधोपुरा से जैतपुरा तक
सडक निर्माण हेतु 3.60 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 37 वृक्षों के पातन
की अनुमति के संबंध में।


संदर्भ:- आपका पत्रांक 8बी/राज/06/14/2015/एफसी/1388 दिनांक
05.02.2016 एवं ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या (FP/RJ/ROAD/6982/2014)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की
अनुपालना अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान
जयपुर के पत्र क्रमांक 14()2014/एफसीए/प्रमुवसं/बारां रोड्स/3842 दिनांक 31.10.2017 से
आपको सीधे ही प्रेषित की गयी है।

नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर द्वारा प्रेषित अनुपालना रिपोर्ट पर राज्य
सरकार सहमत है। अतः उक्त प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी करने का कष्ट करे।

भवदीय


(योगेन्द्र कुमार दक)
शासन सचिव